

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना


सं०सं०-०१/स्था० (का०पदा०)-०५/२०१७- २६४४ /न०वि०एवंआ०वि०। जिलाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-१६६२ दिनांक-०१.१२.१७ द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सहाय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर पूर्णिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कसबा का कार्य करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-८०८९ दिनांक-२२.१२.१७ द्वारा प्राधिकृत किया गया था।

२. श्री सहाय के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में समय नहीं देने के कारण उन्हें कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कसबा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए श्री संजीव कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बनमनखी को अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक बिहार नगरपालिका अधिनियम, २००७ की धारा-४१ के अधीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कसबा के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-०१/स्था० (का०पदा०)-०५/२०१७ २६४४ /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- १४-११-१८
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री सत्येन्द्र कुमार सहाय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर पूर्णिया/श्री संजीव कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बनमनखी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।